**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया**
**पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.**
**प्रकरण संख्याः– 18 / 2022**
**वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| | |
|---|---|
| 1. रहीश कुमार<br>2. महीपाल | पुत्रगण दशरथ जाति सुथार निवासीगण रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0 |

–वादीगण

**बनाम्**

1. दशरथ पुत्र जयमल जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज
2. शकुन्तला पुत्री दशरथ पत्नि महावीर प्रसाद जाति सुथार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज
3. धन्नो देवी पुत्री दशरथ पत्नि प्रेम कुमार जाति सुथार निवासी 13 एस.टी.बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. गोमती देवी पुत्री दशरथ पत्नि रायसाहब जाति सुथार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. सुमित्रा पुत्री दशरथ पत्नि ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी चक 13 एस.टी.बी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6. प्रमिला देवी पुत्री दशरथ पत्नि लीलाराम जाति सुथार निवासी रिसालियाखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
7. अनिता देवी पुत्री दशरथ पत्नि रामकुमार जाति सुथार निवासी रिसालियाखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
8. बैक आफ बडौदा जरिये मैनेजर शाखा संगरिया
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुभाष सैन – वकील वादीगण
2. श्री अमरसिंह मण्डोरा – वकील प्रति स 1 व 7
3. गुरविन्द्र सिंह –वकील प्रति स 8
4. तहसीलदार संगरिया राज–पेरोकार प्रतिवादी संख्या 9

**निर्णय** **दिनांकः–**

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 7 आपस मे सयुक्त परिवार से सम्बन्धित है वादीगण आपस मे सगे भाई है तथा प्रतिवादी स 1 वादीगण के पिता है व प्रतिवादीगण स 2 ता 7 आपस मे सगी बहिने है कि वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 7 के संयुक्त हक व अधिपत्य की पैतृक कृषि भूमि जो वादीगण के पिता प्रतिवादी स 1 दशरथ के नाम से राजस्व रिकार्ड मे धारित है जो चक न 9 एसबीन पटवार हल्का रतनपुरा जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता स 44 / 20 खाता दशरथ कुल क्षेत्रफल 1.7790 है तथा इसी चक न 9 एस.बी.एन के खाता स 43 / 3 खाता दशरथ आदि मे प्रतिवादी सख्या 01 के नाम पटवार हल्का रतनपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता 50 / 3 खाता दशरथ आदि मे प्रतिवादी स 01 दशरथ के नाम से कुल क्षैत्रफल 0.8860 है मे से 221 / 886 हिस्सा चक न 4 ई बडी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर खाता संखया 25 / 12 खाता दशरथ कुल क्षैत्रफल 0.8330 है दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| (क) चक नं. 9 एसबीएन खाता संख्या 44/20 खाता दशरथ जमाबन्दी सम्वत 2070–73 | | |
|---|---|---|
| प.न. | मु.न. | किला नं. |
| 192/201 | 68 | 1/1/0.580 है. /3/0.0080 है. गै.मु. रास्ता,<br>2/1/0.228 हैक्ट., 2/2/0.0250 है. गै.मु. रास्ता<br>3/1/0.228 हैक्ट. 3/2/0.0250 हैक्ट. गै.मु. रास्ता<br>8/0.2530, 9/0.253, 10/1/0.0650 हैक्ट, 11/1/0.0650 हैक्ट<br>12/0.2530, 19/0.2530, 20/1/0.0650 हैक्ट. कुल क्षैत्रफल 1.7790 हैक्ट नहरी 1.7210 है. गै.मु. रास्ता 0.0580 हैक्ट |
| (ख) चक नं. 9 एसबीएन खाता संख्या 43/3 खाता दशरथ जमाबन्दी सम्वत 2070–73 | | |
| प.न. | मु.न. | किला नं. |
| 189/195 | 6 | 11/1/0.1270 हैक्ट, 12/0.253 हैक्ट 13/0.2530 हैक्ट, 20/0.2530 हैक्ट कुल क्षैत्रफल 0.8860 हैक्ट नहरी |
| (ग) चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय खाता संख्या 50/3 खाता दशरथ जमाबन्दी सम्वत 2073–76 | | |
| प.न. | मु.न. | किला नं. |
| 188/195 | 81 | 13/0.253 हैक्ट, 14/1/0.1270 हैक्ट 16/0.2530, 17/0.2530 हैक्ट कुल क्षैत्रफल 0.8860 हैक्ट, बारानी 1 0.7590 हैक्ट, नहरी 0.1270 हैक्ट |
| (घ) चक नं. 4 ई बड़ी खाता संख्या 25/12 खाता दशरथ जमाबन्दी सम्वत 2070–71 | | |
| प.न. | मु.न. | किला नं. |
| 0 | 9 | 6/6/0.0110 हैक्ट |
| | 16 | 8/1/0.1270 हैक्ट, 9/1/0.0840 हैक्ट<br>12/1/0.0840 हैक्ट 13/1/0.1270 हैक्ट<br>18/1/0.1270 हैक्ट 19/0.0840 हैक्ट<br>22/1/0.0760 हैक्ट 23/1/0.1130 हैक्ट कुल क्षेत्रफल 0.8330 हैक्ट नहरी |

वाद पत्र की चरण सख्या 03 मे वर्णित भूमि वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 7 की पैतृक कृषि भूमि है जो वादीगण एव प्रतिवादी स 2 ता 7 की पैतृक कृषि भूमि है जो वादीगण व प्रतिवादी स 2 ता 7 के पिता प्रतिवादी स 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे वादीगण एव प्रतिवादी स 2 ता 7 का जन्म से ही प्रत्येक हिस्सेदार का 1/9 हिस्सा का हक बनता है वादीगण की बहिने प्रतिवादी स 2ता 7 की शादी उन्होने अच्छा भेंट उपहार मे सामान व नगदी देकर अच्छे धरो मे की हुई है जहा वे सुखपूर्वक निवास कर रही है इसलिये प्रतिवादी स 2 ता 7 ने अपनी उपरोक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि मे से अपने हक व हिस्सा को नही लेना चाहती है तथा उक्त सभी ने अपनी स्वेच्छा से काफी समय पूर्व अपने अपने हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रूप से हमेशा के लिऐ अपने दोनो भाईयो वादीगण के पक्ष मे कर दिया था जिसके बाद मे वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 7 ने अपनी सहमती से परिवारिक समझौता करके उक्त पैतृक कृषि भुमि का मौखिक घरू विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादीगण के पिता प्रतिवादी स 1 ने वाद पत्र की चरण सख्या 03 मे वर्णित समस्त पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा हमेशा के लिये वादीगण के पक्ष मे छोड दिया है तथा इसके बदले मे प्रतिवादी स 01 ने अपने पैतृक हिस्सा मे आया हुआ मकान नगदी व जेवर आदि प्राप्त कर लिये है जिनके किराये से प्रतिवादी सख्या 01 को अच्छी आय हो जाती है तथा जीवन यापन करने मे समर्थ है। वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित पैतृक कृषि भूमि परिवारिक समझौता व मोखिक घरू विभाजन मे वादीगण के हक व हिस्सा मे आई हुई है जिसका वादीगण ने प्रतिवादी स 1 ता 7 की सहमति से हमेशा के लिये से हमेशा के लिये मौखिक घरू विभाजन कर रखा है जिसके मुताबिक वादीगण ने उपरोक्त वर्णित चक न 9 एसबीएन के खाता सख्या 44/20 खाता दशरथ की कृषि भूमि का अच्छी मंदी व रास्ता खाला आदि के मुताबिक मोखिक घरू विभाजन कर लिया है तथा चक न 9 एसबीएन के खाता स 43/3 खाता दशरथ आदि मे प्रतिवादी स 01 दशरथ के नाम का हिस्सा 111/143 वादी स 02 महीपाल के हिस्सा मे चक न 3 आटीपी दितीय खाता स 50/3 खाता दशरथ आदि मे प्रतिवादी स 01 का समस्त हिस्सा 221/886 हिस्सा वादी स 01 रहीश कुमार के हिस्सा मे तथा चक न 3 ई बडी खाता सख्या 25/12 एकल खाता दशरथ कुल क्षेत्रफल 0.8330 है नहरी ब.हि.ब वादीगण के हक व हिस्सा मे आई हुई है तथा इसी अनुसार वादीगण अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है वादीगण के हक व अधिपत्य की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अ) वादी स 1 रहीश कुमार पुत्र दशरथ जाति सुथार निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण

(क) चक न 9 एस.बी.एन खाता सख्या 44/20 खाता दशरथ जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073

| प.न | मु.न | कि.न |
|---|---|---|
| 192/201 | 68 | 1/1/0.036हे,1/3/0.008है गे.मु.रास्ता |
| | | 2/1/0.228है,2/2/0.025है गे.मु.रास्ता |
| | | 3/1/0.228है,3/2/0.025है गे.मु.रास्ता |
| | | 8/0.253है ,9/0.085है उतरी पासा |
| | | 10/1/0.015है उतरी पूर्वी पासा |
| | | कुल–0.903है नहरी 0.845है गे.मु.रास्ता 0.058है |

(ख) चक न 3 आरटीपी द्वितीय खाता सख्या 50/3 खाता दशरथ आदि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता का कुल क्षेत्रफल 0.886 है मे प्रतिवादी स 1 दशरथ का समस्त हक व हिस्सा 221/886हिस्सा वादी स 1 हरिश कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन करवाना

(ब) वादी सख्या 02 महीपाल पुत्र दशरथ जाति सुथार निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण

(क) चक न 9 एस.बी.एन खाता स 44/20 खाता दशरथ ज.स 2070–2073

| प.न | मु.न | कि.न |
|---|---|---|
| 192/201 | 68 | 1/2/0.022है पश्चिमी पासा |
| | | 9/2/0.168है दशिणी पासा |
| | | 10/2/0.050है दक्षिणी पश्चिमी पासा |
| | | 11/1/0.065 हे,12/0.253है |
| | | 19/0.253है,20/1/0.065है |
| | | कुल– 0.8760 है नहरी |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ख) चक न 9 एस.बी.एन खाता स 43/3 खाता दशरथ आदि जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खाता का कुल क्षेत्रफल 0.886 है मे वादी स 01 दशरथ का समस्त हक व हिस्सा 111/443 हिस्सा वादी स 2 महीपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर प्रतिवादी स 1 दशरथ का नाम कलमजन करवाना

(स) वादीगण रहीश कुमार, महीपाल पुत्रगण दशरथ जाति सुथार निवासीगण रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया के सयुक्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण

(क) चक न 3 ई बडी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर खाता स 25/12 एकल खाता दशरथ खाता का कुल क्षैत्रफल 0.8330 है वादीगण के सयुक्त नाम से ब.हि.ब राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर प्रतिवादी स 01 का नाम कलमजन करना। वाद पत्र की चरण सख्या 03 मे वर्णित समस्त कृषि भूमि का मौखिक घरू विभाजन वादीगण ने प्रतिवादी स 1 ता 7 की सहमति से वाद पत्र की चरण सख्या 5 के अनुसार काफी समय पूर्व करके अपने अपने हक व हिस्सा मे आई कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना कोई विवाद के काश्त कर रहे है लेकिन उक्तानुसार कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे उकन नही होने से वादीगण को रकम राज पानी की बारी कृषि ऋण मुआवजा आदि को लेकर भारी परेशानी व असुविधा हो रही है इसलिऐ वादीगण ने कई बार प्रतिवादी स 1 ता 7 से वादीगण को वाद पत्र की चरण सख्या 5 के अनुसार सभी खाते के खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर चक न 9 एस.बी.एन के खाता स 44/20 का खाता विभाजन कर अलग से रकम राज निर्धारण करवाने के लिऐ निवेदन किया जिस पर पहले तो प्रतिवादीगण बाद मे करवाने का कहकर टालते रहे लेकिन बाद में प्रतिवादीगण ने ऐसा करवाने से पूर्णतया इन्कार कर दिया है बस यही वाद कारण है। वादीगण घरू विभाजन मे मिली कृषि भूमि पर काफी समय से काबिज होकर काश्त कर रहे तथा अपने हक व हिस्सा मे आई कृषि भूमि पर काफी रूपया खर्च सिचाई योग्य बनाई है यदि उक्त कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता विभाजन किया जाता है ता वाद के किसी पक्षकार को क्षती नही होगी प्रथम दृष्डया मामल व सुमिधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष मे बनता है। वादीगण का वादीगण एव प्रतिवादीगण स 1 ता 7 की पैतृक कृषि भूमि से सम्बन्धित होने के कारण प्रविादी स 1 ता 7 को वाद पत्र मे बतौर पक्षकार के रूप म सयोजित किये गये है तथा प्रतिवादी स 8 के पास प्रतिवादी 1 की कृषि भूमि रहन होने व प्रतिवादी स 9 को राजस्थान सरकार की और से भूमि धारक होने के कारण वाद मे बतौर पक्षकार सयोजित किये गये है।

अत वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण स 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर समस्त खातो मे प्रतिवादी स 1 दशरथ का नाम कलमजन किया जावे एवं वादीगण का वाद पत्र की चरण स 5 मे वर्णित चक न 9 एस.बी.एन के खाता स 44/20 का खाता विभाजन कर वादी

रहीश कुमार 5(अ)क के अनुसार तथा वादी स 2 महीपाल को (ब)क के अनुसार अलग अलग खाता कायम कर अलग से रकम राज का निर्धारण किया जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 बैक की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 9 की ओर से जबाव स्टेट प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादीगण को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादीगण रिकार्ड की गई। वादीगण ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि वादगत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता दशरथ के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने इस न्यायालय के वाद पत्र संख्या 08 / 2015 दशरथ राम बनाम मुन्शीराम वगैरा निर्णय दिनांक 19.01.2015 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 प्रतिवादी संख्या 1 दशरथ के पुत्र व पुत्री है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार जमाबन्दी चक 9 एस.बी.एन खाता संख्या 44 / 20 खाता दशरथ वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं इसी चक के खाता संख्या 43 / 3 खाता दशरथ वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 व चक न 3 आर .टी.पी बी ज.स 73 / 76 खाता स 50 / 3 मे व 4 ई बंडी ज.स 2070–2073 के खाता स 25 / 12 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो इस न्यायालय जारी डिक्री दिनांक 19.01.2015 की फोटोप्रति से पैतृक साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:–

**1.** वादी स 1 रहीश कुमार पुत्र दशरथ जाति सुथार नि.रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण

(क) चक न 9 एस.बी.एन खाता सख्या 44 / 20 खाता दशरथ जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073

| प.न | मु.न | कि.न |
|---|---|---|
| 192 / 201 | 68 | 1 / 1 / 0.036हे,पूवी पासा 1 / 2 / 0.008है गे.मु.रा<br>2 / 1 / 0.228है,2 / 2 / 0.025है गे.मु.रास्ता<br>3 / 1 / 0.228है,3 / 2 / 0.025है गे.मु.रास्ता<br>8 / 0.253है ,9 / 0.085है उतरी पासा<br>10 / 1 / 0.015है उतरी पूर्वी पासा<br>कुल–0.9030है नहरी 0.8450है गे.मु.रास्ता 0.0580है |

(ख) चक न 3 आरटीपी द्वितीय खाता सख्या 50 / 3 खाता दशरथ आदि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता का कुल क्षेत्रफल 0.886 है मे प्रतिवादी स 1 दशरथ का समस्त हक व हिस्सा 221 / 886हिस्सा वादी स 1 रहीश कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जावे

**2.** वादी सख्या 02 महीपाल पुत्र दशरथ जाति सुथार निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण

(क) चक न 9 एस.बी.एन खाता स 44 / 20 खाता दशरथ ज.स 2070–2073

| प.न | मु.न | कि.न |
|---|---|---|
| 192 / 201 | 68 | 1 / 2 / 0.022है पश्चिमी पासा<br>9 / 2 / 0.168है दशिणी पासा<br>10 / 2 / 0.050है दक्षिणी पश्चिमी पासा<br>11 / 1 / 0.065हे,12 / 0.253है<br>19 / 0.253है,20 / 1 / 0.0650है<br>कुल– 0.8760है नहरी |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ख) चक न 9 एस.बी.एन खाता स 43 / 3 खाता दशरथ आदि जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खाता का कुल क्षेत्रफल 0.886 है मे प्रतिवादी स 01 दशरथ का समस्त हक व हिस्सा 111 / 443 हिस्सा वादी स 2 महीपाल के नाम राजस्व रिकॅार्ड मे दर्ज कर प्रतिवादी स 1 दशरथ का नाम कलमजन किया जावे।

**3.** वादीगण रहीश कुमार, महीपाल पुत्रगण दशरथ जाति सुथार निवासीगण रतनपुरा तहसील संगरिया के संयुक्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :—
(क) चक 4 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 25/12 एकल खाता दशरथ खाता का कुल क्षैत्रफल 0.8330 हैक्ट वादीगण के संयुक्त नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

**(रमेश देव)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी संगरिया**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

**अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता**

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया**

**वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 / 53 आरटीए**

**प्रकरण संख्याः– 18 / 2023**

1. रहीश कुमार | पुत्रगण दशरथ जाति सुथार निवासीगण रतनपुरा
2. महीपाल | तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0 वादीगण

## बनाम्

1. दशरथ पुत्र जयमल जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज
2. शकुन्तला पुत्री दशरथ पत्नि महावीर प्रसाद जाति सुथार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज
3. धन्नो देवी पुत्री दशरथ पत्नि प्रेम कुमार जाति सुथार निवासी 13 एस.टी.बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. गोमती देवी पुत्री दशरथ पत्नि रायसाहब जाति सुथार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. सुमित्रा पुत्री दशरथ पत्नि ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी चक 13 एस.टी.बी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6. प्रमिला देवी पुत्री दशरथ पत्नि लीलाराम जाति सुथार नि. रिसालियाखेडा तह. डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
7. अनिता देवी पुत्री दशरथ पत्नि रामकुमार जाति सुथार निवासी रिसालियाखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
8. बैक आफ बडौदा जरिये मैनेजर शाखा संगरिया
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष सैन एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 7 श्री अमर सिह मण्डोरा एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 8 श्री गुरविन्द्र सिह एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :–

1. वादी स 1 रहीश कुमार पुत्र दशरथ जाति सुथार नि.रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण
   (क) चक न 9 एस.बी.एन खाता सख्या 44 / 20 खाता दशरथ जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073

| प.न | मु.न | कि.न |
|---|---|---|
| 192 / 201 | 68 | 1 / 1 / 0.036हे,पूवी पासा 1 / 2 / 0.008है गे.मु.रा<br>2 / 1 / 0.228है,2 / 2 / 0.025है गे.मु.रास्ता<br>3 / 1 / 0.228है,3 / 2 / 0.025है गे.मु.रास्ता<br>8 / 0.253है ,9 / 0.085है उतरी पासा<br>10 / 1 / 0.015है उतरी पूर्वी पासा<br>कुल–0.9030है नहरी 0.8450है गे.मु.रास्ता 0.0580है |

   (ख) चक न 3 आरटीपी द्वितीय खाता सख्या 50 / 3 खाता दशरथ आदि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता का कुल क्षेत्रफल 0.886 है मे प्रतिवादी स 1 दशरथ का समस्त हक व हिस्सा 221 / 886हिस्सा वादी स 1 रहीश कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जावे

2. वादी सख्या 02 महीपाल पुत्र दशरथ जाति सुथार निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण
   (क) चक न 9 एस.बी.एन खाता स 44 / 20 खाता दशरथ ज.स 2070–2073

| प.न | मु.न | कि.न |
|---|---|---|
| 192 / 201 | 68 | 1 / 2 / 0.022है पश्चिमी पासा<br>9 / 2 / 0.168है दशिणी पासा<br>10 / 2 / 0.050है दक्षिणी पश्चिमी पासा<br>11 / 1 / 0.065हे,12 / 0.253है<br>19 / 0.253है,20 / 1 / 0.0650है<br>कुल– 0.8760है नहरी |

(ख) चक न 9 एस.बी.एन खाता स 43/3 खाता दशरथ आदि जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खाता का कुल क्षेत्रफल 0.886 है मे प्रतिवादी स 01 दशरथ का समस्त हक व हिस्सा 111/443 हिस्सा वादी स 2 महीपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर प्रतिवादी स 1 दशरथ का नाम कलमजन किया जावे।

3. वादीगण रहीश कुमार, महीपाल पुत्रगण दशरथ जाति सुथार निवासीगण रतनपुरा तहसील संगरिया के संयुक्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–

(क) चक 4 ई बड़ी ᑉ टवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 25/12 एकल खाता दशरथ खाता का कुल क्षेत्रफल 0.8330 हैक्ट वादीगण के संयुक्त नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......×.....नल......×........मुब्लिक.......×.....निल.......×......बाबत्......×.....निल.....100/–......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/04/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official